प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर यह प्रतिवेदन भारतीय रेल (आईआर) के लेखा एवं वित्त की विश्लेषणात्मक समीक्षा उपलब्ध कराता है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में तैयार किया गया है।

अध्याय 1 में भारतीय रेल के वित्त पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं और 31 मार्च 2013 को भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करता है। आय, व्यय, आरक्षित, प्रचालन क्षमता आदि पर विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण किया गया है।

अध्याय 2 में भारतीय रेल के विनियोजन लेखाओं पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष और आबंटित संसाधनों के प्रबन्धन का विश्लेषण शामिल है।

अध्याय 3 में भारतीय रेल में परियोजनाओं के लेखाकंन से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें परियोजनाओं पर व्यय की अपर्याप्त निगरानी पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी शामिल हैं।